BUILDING SAFETY CERTIFICATE

No. 64 /R.E.D/B.S.C/School/25-26 Date: 29 /01/2025

It is certified that the existing building **RATHI PUBLIC SCHOOL** (name of the building or premises) at **GATA NO-450,1 VILL-LAKHAMIPUR, JALESAR TO SIKANDRAO ROAD, DISTT- ETAH** (address) is having block(s)/Floor(s) as per details below:

Detail of Block(s) in school	Block (1)	Block (2)	Block (3)	Block (4)	Block (5)	Block (6)
No. of Floor(s) in the Block	02	-	-	-	-	-

The building is owned/occupied by **RATHI PUBLIC SCHOOL, GATA NO-450,1 VILL-LAKHAMIPUR, JALESAR TO SIKANDRAO ROAD** (name of the Institution) have complied with the Building safety requirements in accordance with National Building code Rules, and verified by the officers concerned of **RURAL ENGINEERING DEPARTMENT, ETAH** (Name of Department/ Govt.) on **28-01-2025** (date of inspection) in the presence of **Mr. UDIT RATHI, MANAGER R/O GATA NO-450,1 VILL-LAKHAMIPUR, JALESAR TO SIKANDRAO ROAD, ETAH** (name and addresses of the Manager/Secretary or his representative) and that the building/premises is fit for occupancy for running school with effect from **28-01-2025** for a period of **01** years in accordance with rule and subject to compliance of the specific conditions as appended.

1.
2. **Not Applicable**
3.
4.

Issued on **28-01-2025** at **R.E.D. ETAH** by

* Strike out whichever is not applicable. In case of block is more than six use separate sheet for detail.

Signature with Seal

(संतोष कुमार)

Name : **Santosh Kumar**

सहायक अभियंता

Designation : **Assistant Engineer (R.E.D.)**

ग्रामीण अभियंत्रण विभाग

Name & Address of Department/ Office: **R.E.D. (Etah)**

C-64

कार्यालय जिला पंचायत, एटा

अनुज्ञा–पत्र

पत्रॉकः 1773 /नक्शा–जि0पं0/2024–25 दिनाँक 23/01/2025

(राठी पब्लिक स्कूल)

श्री अंकुर राठी

पुत्र श्री आनन्द राठी व अन्य

निवासी–ग्राम बोहरान

विकास खण्ड–जलेसर

जनपद–एटा।

आपके प्रार्थना पत्र दिनांक **05.12.2024** के साथ संलग्न मानचित्र में प्रदर्शित भूमि खसरा/गाटा संख्या–**450/1 व 450/4** में स्थित **ग्राम लखमीपुर जलेसर से सिकन्द्राराऊ रोड जनपद एटा** की भूमि पर **व्यवसायिक भवन** (राठी पब्लिक स्कूल) के निर्माण हेतु प्लाट एरिया लम्बाई **2538.77** वर्गमीटर हेतु प्रस्तावित मानचित्र की स्वीकृति सम्यक विचारोपरान्त निम्न प्रतिबन्धो के अधीन प्रदान की जाती है।

1– सिलिंग/भू–अर्जन/नजूल/ग्राम समाज सहित भू–स्वामित्व मामलों में यदि कोई विवाद अथवा अन्य वाद उत्पन्न होता है तो उसकी जिम्मेदारी प्रार्थी की स्वयं होगी तथा स्वीकृति मानचित्र स्वतः ही निरस्त समझा जायेगा।

2– अनुज्ञा पत्र जारी होने के उपरान्त यदि संज्ञान में आता है कि नक्शा स्वीकृति हेतु आवेदक द्वारा प्रस्तुत अभिलेख फर्जी है अथवा गलत है, तो जिला पंचायत द्वारा की गयी स्वीकृति स्वयं में निरस्त मानी जायेगी। निर्माण ध्वस्त किया जा सकता है अथवा सील किया जा सकता है।

3– मानचित्र जिस प्रयोजन हेतु स्वीकृत कराया गया है केवल उसी के अनुसार प्रयोग में लाया जायेगा।

4– स्वीकृत मानचित्र सदैव निर्माण स्थल पर ही रखना होगा, जो कि मौके पर निरीक्षण करते समय अभियन्ता/अवर अभियन्ता/राजस्व निरीक्षक जिला पंचायत द्वारा जांच किया जा सके।

5– कार्यस्थल पर होने वाले कार्य जिला पंचायत द्वारा दिये गये दिशा निर्देशानुसार कराया जायेगा तथा प्रत्येक माह के तृतीय सप्ताह में जिला पंचायत के अधिकारी से समय निर्धारित कर कार्यो का निरीक्षण कराना सुनिश्चित होगा।

6– कार्यालय मुख्य अग्निशमन अधिकारी, एटा द्वारा निर्गत अनापत्ति प्रमाण पत्र संख्या **–UPFS/2024/139616/ETA/ETAH/765/CFO** दिनांक **15.12.2024** के अनुसार अग्नि से सुरक्षा एवं बचाव के उपाय सुनिश्चित करना आवश्यक है।

7– निर्माण की स्वीकृति जिला पंचायत द्वारा प्राप्त होने के छः माह के अन्दर निर्माण कार्य प्रारम्भ होगा। यदि किसी कारण निर्माण कार्य उक्त निर्धारित अवधि में प्रारम्भ नहीं हुआ है तो प्रार्थी द्वारा स्वयं प्रस्तुत प्रार्थना पर अध्यक्ष पुनः विचार कर कार्य करने की अवधि बढा सकते है, किन्तु यह अवधि किसी भी दशा में स्वीकृति से दो साल से अधिक नहीं बढाई जा सकती है।

Received 25/1/25

8– स्थल की साईट से होकर जा रही 132 के.वी. की लाइन के लिए कैरिज छोड़ दिया जाना चाहिए। लो एवं मध्यम वोल्टेज विद्युत लाईन तथा सर्विस लाइन से निर्माण की न्यूनतम् ऊर्ध्वाधर/क्षैतिज कमशः 2.50 मी0 व 1.20 मी0 हाई वोल्टेज लाइन 33000 किलोवाट तक विद्युत लाइन से निर्माण की न्यूनतम् दूरी ऊर्ध्वाधर /क्षैतिज कमशः 3.70 मी0 एवं 2 मी0 होगी।

9– प्रतिबन्ध यह रहेगा कि प्रास्तावित भवन निर्माण कार्य करते समय तथा निर्माण अवधि में कोई भी निर्माण सामग्री सम्मुख मार्ग पर एकत्रित कर अतिकमण नहीं किया जायेगा।

10— आवेदक को पर्यावरण तथा अन्य शासकीय विभाग/स्थानीय निकाय द्वारा समय समय पर निर्गत आदेशों/निर्देशों का पालन करना होगा।

11— दरवाजे व खिड़किया इस तरह से लगाई जायेगी कि यदि बाहर खुले तो उनके भाग किसी सरकारी भूमि या सड़क की ओर बढाव न रखे।

12— पार्को तथा खुले स्थान से मानको के अनुसार ऐसे पेड़ पौधों का वृक्षारोपण किया जायेगा जिनको न्यूनतम जल की आवश्यकता है, जो ग्रीष्म ऋतु में हरे भरे रह सके तथा पार्किंग हेतु आरक्षित स्थल पर किसी भी प्रकार का निर्माण/प्रयोजन अनुमन्य नहीं होगा।

13— भवन निर्माण करते समय भूकम्परोधी मानको का पालन करना होगा।

14— रेन वाटर हार्वेस्टिग सिस्टम अन्तर्गत भवन एवं पक्की सडको के द्वारा भू—खण्ड के प्रत्येक 300 वर्गमीटर के भू—आच्छादन पर एक रेनवाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम स्थापित करना होगा।

15— कोई भी कम्पनी, व्यक्ति, फर्म या संस्था, राजकीय विभाग अथवा ठेकेदार आदि द्वारा प्रस्तावित मानचित्र जिला पंचायत से स्वीकृत होने के बावजूद अन्य उन सभी विभागों से जिनसे लाइसेन्स/अनापत्ति प्रमाण पत्र लिया जाना आवश्यक है, अनुमति प्राप्त करने का उत्तरदायित्व आवेदक का होगा।

16— भवन निर्माण में श्रम विभाग के प्राविधानो का पालन करते हुये आवश्यक सैस कर का भुगतान श्रम विभाग को भवन स्वामी/संस्था द्वारा करना होगा।

17— शौचालय का निर्माण फ्लस टाइप का होना चाहिये, जिसके लिये सैप्टिक टैंक, टैंक व शॉक पिट की व्यवस्था अनिवार्य होगी।

18— भवन की कुर्सी भवन के निकट गली, सड़क आदि से या खुले स्थान की सतह से कम से कम 30 सेमी0 रखी जाये। दी गयी अनुज्ञा केवल निर्माण के लिये होगी और इसका कथित भूमि की स्वामित्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ेगा।

19— उपरोक्त स्वीकृति मानचित्र में अथवा निर्माण किसी भी प्रकार का परिवर्तन एवं परिवंर्धन बिना जिला पंचायत के स्वीकृति के नहीं किया जायेगा।

20— किसी भी प्रकार के भूमि व अन्य विवाद के उत्पन्न होने पर जिला पंचायत, एटा इसका उत्तरदायी नहीं होगा तथा न्यायिक क्षेत्राधिकार जिला एवं सत्र न्यायालय एटा होगा।

21— स्वीकृति मानचित्र तथा परमिट किसी भी दशा में स्वामित्व अभिलेख के रूप में मान्य नहीं होगा तथा न ही इस रूप में प्रयुक्त होगा।

22— प्रस्तावित भू—खण्ड पर स्वीकृत मानचित्र के अनुरूप ही निर्माण कार्य कराया जायेगा। भविष्य में अतिरिक्त कार्य कराये जाने हेतु पुनः मानचित्र स्वीकृत कराना अनिवार्य होगा।

23— स्वीकृत मानचित्र में प्रदर्शित एरिया सार्वजनिक भूमि जैसे चकरोड, नाली, तालाब, मरघट, चारागाह व परती भूमि, एटा की महा योजना से आच्छादित भूमि, लोक निर्माण विभाग, सिंचाई विभाग, विद्युत विभाग, अग्नि शमन विभाग, रेलवे विभाग व अन्य की भूमि होने पर स्वीकृत मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

24— जिला पंचायत ग्रामीण क्षेत्रों में नोटीफाइड एरिया, टाउन एरिया तथा नगर पालिका आदि क्षेत्रों को छोडकर ही भवन निर्माण की स्वीकृति दे सकती है। अतः यदि उक्त भवन जिला पंचायत के अलावा किसी अन्य क्षेत्र में आता है, तो मानचित्र स्वतः निरस्त माना जायेगा।

इस अनुज्ञा पत्र की कम संख्या 01 से 24 तक अंकित शर्तो का पूर्णतः अनुपालन सुनिश्चित करना होगा, अन्यथा की स्थिति में मानचित्र स्वतः निरस्त समझा जायेगा। उपरोक्तानुसार स्वीकृति के अनुपालन में मानचित्र निर्गत किया जाता है।

21/1/25

अभियन्ता
जिला पंचायत, एटा

अपर मुख्य अधिकारी
जिला पंचायत, एटा